कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांकः– /14–10–4 , लखनऊ, दिनांक 03 अगस्त, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद–हरदोई के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा पंटाधर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं सम्बन्धी मार्ग कि0मी0 (चैनेज सं0–0.00 से 2.60 एवं 2.0 कि0मी0) दायीं पटरी पर (कुल 4.60 कि0मी0) की दूरी में पैप पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित 0.2475 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुभाग–2 के कार्यालय पत्रांक–पी–363/81–2–2022–800 (361)/2022 दिनॉक–12.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि उक्त मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, हरदोई ने अपने पत्रॉक–271/14–1 दिनॉक–24.07.2023 के द्वारा निम्न प्रकार से उपलब्ध कराया गया है:–

Sl.No	Conditions (शर्तें)	Reply (आख्या)
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेंशन लि0 द्वारा वन भूमि की कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन न किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है। (संलग्न बिन्दु सं0–1)
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेंशन लि0 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि समस्त धनराशि ई–चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक बिन्दु सं0–2,)
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी हरदोई द्वारा जारी वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक बिन्दु सं0–3)
4	User Agency shall obtain Environment clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act 1986 if applicable.	शर्त सं0 04 के आलोक में प्रभागीय निदेशक की आख्या के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेंशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नही है।
5	The Lay out Plan of the proposed shall not be changed without prior approval of Central Government	शर्त सं0 05 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेंशन लि0 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि प्रश्नगत परियोजना में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लान में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। (संलग्नक बिन्दु सं0 –5)
6	No Labour camps shall be established on the forest land.	शर्त सं0 06 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेंशन लि0 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत की गयी है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नही किया जायेगा। (संलग्नक बिन्दु सं0–6)
7	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by user agency to the labourer after purchasing the same from the state Forest department or the forest development corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त सं0 07 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेंशन लि0 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत की गयी है कि उ0प्र0 वन निगम विधिक श्रोत से श्रमिको के उपयोग हेतु जलौनी लकड़ी/बैकल्पिक ईधन का कय कर उपलब्ध कराया जायेगा। (संलग्नक बिन्दु सं0–7)
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेंशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि लीज अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी (संलग्न बिन्दु सं0–8)

9	The forest land proposed to be diverted shall number no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त सं0 09 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत की गयी कि परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जायेगा (संलग्नक बिन्दु सं0–9)
10	Viloation of any of these conditions will anul to violation of Forest (Conservation) Act 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.N0.11-42/2017-FC dt 29.01.2018	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन नही किया गया है वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक विन्दु सं0–10)
11	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनों और वन्य जीवों के सरक्षण और विकास के लिा समय–समय पर अन्य शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न विन्दु सं0–11)
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं0 12 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक बिन्दु सं0–12)
13	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़को/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे किनारे ही बिछाये जायेगें।	शर्त सं0 13 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि गैस पाइप लाइन वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे किनारे बिछाये जायेगें। (संलग्नक बिन्दु सं0–13)
14	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे गये ट्रेन्च की गहराई 2.00 मी0 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नही होगी।	शर्त सं0 14 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे गये ट्रैन्च की गहराई 2.00 मी0 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नही होगी। (संलग्नक बिन्दु सं0–14)
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त सं0 15 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदे गये ट्रैंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट जायेगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो। (संलग्नक बिन्दु सं0–15)
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।	शर्त सं0 16 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा। (संलग्नक बिन्दु सं0–16)
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त सं0 17 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। (संलग्नक बिन्दु सं0–17)
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।	शर्त सं0 18 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग अनुमति ली जायेगी। (संलग्नक बिन्दु सं0–18)
19	भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नही दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा, अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत वना रहेगा।	शर्त सं0 19 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नही दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा, अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत वना रहेगा। (संलग्नक बिन्दु सं0–19)
20	कार्यदायी सस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	शर्त सं0 20 के आलोक में प्रभागीय निदेशक, की आख्या के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 शासन की पत्र सं0 जी0आई0

		196/14-2-2010-1017/10 दिनॉक-02.07.2010 के अनुपालन में नवायु वन प्रभाग को 20 कि0मी0 की दूरी मे तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु धनराशि रु0 15730000.00 उपलब्ध कराया गया है वांछित प्रमाण-पत्र मूल प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 29 से 30 पर संलग्न है। (संलग्नक बिन्दु सं0-20)
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त सं0 21 के आलोक में प्रभागीय निदेशक की आख्या के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना मे भू-स्वामित्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जो मूल प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 43-44 पर संलग्न है। (संलग्नक बिन्दु सं0-21)
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त सं0 22 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उस कार्य करने का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। (संलग्नक बिन्दु सं0-22)
23	भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007 एफ0सी0 (पी0टी0) दिनॉक-19.05.2010 तथा पत्र सं0 11013/41/2006- IA-II(I) दिनॉक-02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने यदि लागू है(if applicable) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग अलग प्राप्त कर लिया है।	शर्त सं0 23 के आलोक में प्रभागीय निदेशक की आख्या के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना मे वांछित प्रमाण पत्र लागू नही है। (संलग्नक बिन्दु सं0 23)
24	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रॉक-11-9/98 एफ0सी0 दिनॉक-08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	शर्त सं0 24 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रॉक-11-9/98 एफ0सी0 दिनॉक-08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा फाइल में दर्शाया गया है। जो कि प्रस्ताव में संलग्न है। (संलग्नक बिन्दु सं0-24)
25	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	शर्त सं0 25 के आलोक में प्रभागीय निदेशक, की आख्या के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना मे अपशिष्ट उपलब्ध नही है। जिस कारण मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र वांछित नही है। (संलग्नक बिन्दु सं0 25)
26	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करना।	शर्त सं0 26 इस कार्यालय से सम्बन्धित नही है।
27	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेगें।	शर्त सं0 27 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय किये जायेगें। (संलग्नक बिन्दु सं0-27)
28	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	शर्त सं0 28 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा। (संलग्नक बिन्दु सं0-28)

29	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	शर्त सं0 29 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी। (संलग्नक बिन्दु सं0–29)
30	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या–5रु/2007–एफ0सी0 दिनॉक–05. 02.2009 के कम में भारत सरकार के पत्र दिनॉक–06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and planning Authority) में वन विभाग से जमा की जायेगी।	शर्त सं0 30 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रभावित वन भूमि 0.2475 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 237051.00 ई–चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक बिन्दु सं0–30)
31	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त सं0 31 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गयी है कि प्रस्तावित स्थल ROW से अच्छादित होने के प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक बिन्दु सं0–31)
32	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।	शर्त सं0 32 के आलोक में प्रभागीय निदेशक, द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी बिन्दु पर कोई तथ्य छिपाया नही गया है।
a	C.A amount as per proposal	0.00
b	C.A amount deposited	0.00
c	Difference in amount	0.00
d	Reason for difference	0.00
E	NPV amount as per proposal	237051.00
f	NPV amount deposited	237051.00
g	Difference in amount	0.00
h	Reason for difference	0.00
I	Any other amount deposited (Complete details be provided)	0.00
j	CAMPA confirmation	The user agency has paid NPV amount on date 03.04.2023

अतः उक्त सम्बन्ध मे अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नकः– यथोपरि

भवदीया,

(रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

669
14–1
7/8/23

पत्रॉक– 496 /14–1 0–उक्तदिनॉकित

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, हरदोई को उनके पत्रॉक–271/14–1 दिनाक–24.07.2023 के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक /14-1 दिनांक, हरदोई, 24/7/2023

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– जनपद हरदोई के अर्न्तगत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा घंटाघर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी0 (चैनेज 0.00 से 2.50 एवं 2.0 किमी0) दांयी पटरी पर (कुल 4.50 किमी0) की दूरी मे गैस पाइप लाईन बिछाये जाने से प्रभावित 0.2475 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे।
(प्रस्ताव संख्या–एफ.पी./यू.पी./पाइपलाइन/143184/2021)

सन्दर्भः– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुभाग–2 के कार्यालय पत्रॉक–पी–363/81–2–2022–800 (361)/2022, दिनॉक–12–01–2023

महोदय,

विषयांकित परियोजना मे उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद हरदोई के अर्न्तगत घंटाघर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी0 (चैनेज 0.00 से 2.50 एवं 2.0 किमी0) दांयी पटरी पर (कुल 4.50 किमी0) की दूरी मे गैस पाइप लाईन बिछाये जाने से प्रभावित 0.2475 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु उल्लिखित शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। पत्र में उल्लिखित शर्तो पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार0 लि0 द्वारा अनुपालन हेतु बचनबद्वता/प्रमाण पत्र दी गयी है। वांछित विन्दुओं पर अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारुप मे सूचना/अभिलेख संलग्न कर प्रेषित है।

अतः सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र मे उल्लिखित शर्तो पर विन्दुवार अनुपालन आख्या अभिलेख/प्रमाण पत्र तथा स्थलीय निरीक्षण रिर्पोट संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से विषयगत प्रकरण मे विधिवत स्वीकृति आदेश उच्च स्तर से जारी कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शशिकान्त अमरेश)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्यजीव प्रभाग,
हरदोई।

पत्रॉक–271/ उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, एस0ए0 72/79, पहली मंजिल, डी0डी0पुरम बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शशिकान्त अमरेश)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्यजीव प्रभाग,
हरदोई।

-3-

On Line Proposal No-FP/UP/Pipeline/143184/2021

विषयः— जनपद हरदोई के अर्न्तगत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा घंटाघर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी0 (चैनेज 0.00 से 2.50 एवं 2.0 किमी0) दाँयी पटरी पर (कुल 4.50 किमी0) की दूरी मे गैस पाइप लाईन बिछाये जाने से प्रभावित 0.2475 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः— सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुभाग–2 के कार्यालय पत्रॉक–पी–363/81–2–2022–800 (361)/2022, दिनॉक–12–01–2023 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृत के कम मे विन्दुवार अनुपालन आख्याः—

S. No.	Conditions (शर्ते)	Reply (आख्या)
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वन भूमि की कानूनी स्थिति मे कोई परिवर्तन न किए जाने हेतु वचनबद्वता प्रमाण पत्र दी गयी है (संलग्न–1 बिन्दु सं0–01)।
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transerred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि समस्त धनराशि ई–चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड मे जमा कर दिया गया है (संलग्न–1 बिन्दु सं0–02)।
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वन अधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन निर्धारित प्रारुप मे जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न–2)।
4	User Ajency shall obtain Envirnment Clearance as per the provision of the Envirnmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	शर्त सं0 04 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना मे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नही है (संलग्न–1)।
5	The Lay out Plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त सं0 05 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि प्रश्नगत परियोजना मे भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लान मे कोई परिवर्तन नही किया जायेगा (संलग्न–1 बिन्दु सं0–05)।
6	No Labour camps shall be established on the forest land.	शर्त सं0 06 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नही किया जायेगा (संलग्न–1 बिन्दु सं0–06)।
7	Sufficent firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the forest development corporation or any other legal source of alternate furl.	शर्त सं0 07 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि उ0प्र0 वन निगम बिधिक श्रोत से श्रमिको के उपयोग हेतु जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईधन का कय कर उपलब्ध कराया जायेगा (संलग्न–1 बिन्दु सं0–07)।
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता दी गयी है कि परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो, तक होगी (संलग्न–1 बिन्दु सं0–08)।

9	The forest land proposed to be diverted shall numb[illegible] circumstances be transferred to any other agencies, department o[illegible] person without prior approval of Govt. of India.	शर्त सं0 09 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलि[illegible] कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि परियोजना के अर्न्तगत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा मे किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तारित नही किया जायेगा (संलग्न–1 बिन्दु सं0–09)।
10	Viloation of any of these conditions will amut to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per thr MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29-01-2018.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा परियोजना के अर्न्तगत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को उल्लंघन नही किया गया है। वॉछित प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न–3)।
11	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वनो और वन्य जीवों के संरक्षण और विकास लिए समय–समय पर अन्य शर्तो का अनुपालन किया जायेगा (संलग्न–1 बिन्दु सं0–11)।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं0 12 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वानितक स्वीकृति पत्र मे उल्लिखित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है (संलग्न–1 बिन्दु सं0–12)।
13	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़को/वर्तमान (Surface Right) मे प्रयुक्त रास्तो के किनारे किनारे ही बिछाये जायेगे।	शर्त सं0 13 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि गैस पाइप लाइन वर्तमान (Surface Right) मे प्रयुक्त रास्ते के किनारे–किनारे बिछाई जायेगी (संलग्न–1 बिन्दु सं0–13)।
14	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे गये ट्रैच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नही होगी।	शर्त सं0 14 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदे गये ट्रैच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.00 मीटर से अधिक नही होगी (संलग्न–1 बिन्दु सं0–14)।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त सं0 15 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदे गये ट्रैच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा ताकि भू–क्षरण की सम्भावना न हो (संलग्न–1 बिन्दु सं0–15)।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना मे किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।	शर्त सं0 16 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना मे किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा (संलग्न–1 बिन्दु सं0–16)।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण मे होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे मे प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त सं0 17 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि वनभूमि के उपयोग के बाद उसको मूल स्वरूप मे पुनः लाने एवं वनो एवं पर्यावरण मे होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे मे प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दो जायेगी (संलग्न–1 बिन्दु सं0–17)।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त सं0 18 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी (संलग्न–1 विन्दु सं0–18)।

19	भूमि का सरफेस राइटस (Surface Right) नही दि[illegible] जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भॉति यथावत् बना रहेगा।	शर्त सं0 19 के आलोक मे हिन्दुस्तान [illegible]लियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि भूमि का सरफेस राइटस (Surface Right) नही दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भॉति यथावत् बना रहेगा (संलग्न–1 बिन्दु सं0–19)।
20	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश मे किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनो मे वृक्षारोपण कराया जायेगा।	शर्त सं0 20 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या–जी0आई0 196/14–2–2010–1017/10 दिनॉक–02–07–2010 के अनुपालन मे बदायू वन प्रभाग को 20 किमी0 की दूरी मे तीन लाइनो मे वृक्षारोपण हेतु धनराशि रु0–15730000.0 उपलब्ध कराया गया है। वॉछित प्रमाण पत्र मूल प्रस्ताव के पृष्ट सं0–29–30 पर संलग्न है (संलग्न–1 बिन्दु सं0–20)।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त बैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त सं0 21 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना मे भू–स्वामित्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र कर लिया गया है जो मूल प्रस्ताव के पृष्ट सं0–43–44 पर संलग्न है (संलग्न–1 बिन्दु सं0–21)।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त सं0 22 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है (संलग्न–1 बिन्दु सं0–22)।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफ.सी. (पी.टी) दिनॉक–19–08–2010 तथा पत्र संख्या–11013/41/2006– IA-II (I) दिनॉक–02–12–2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने यदि लागू है (if applicable) कार्य प्रारमी करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्यजीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग अलग प्राप्त कर लिया है।	शर्त सं0 23 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना मे वॉछित प्रमाण पत्र लागू नही है (संलग्न–1 बिन्दु सं0–23)।
24	पर्यावरण एवं वन मंन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्रॉक–11–9/98 एफ.सी. दिनॉक–08–07– 2011 मे दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमे वन सीमाओ को विशेष डाटा (shpshp) फाइल मे दर्शाया गया हो।	शर्त सं0 24 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि पर्यावरण एवं वन मंन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्रॉक–11–9/98 एफ.सी. दिनॉक–08–07– 2011 मे दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुऐ भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा फाइल मे दर्शाया गया है, जो कि प्रस्ताव मे संलग्न है। (संलग्न–1 बिन्दु सं0–24)।
25	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	शर्त सं0 25 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना मे अपशिष्ट उपलब्ध नही है जिस कारण मकडिस्पोजल प्रमाण पत्र वॉछित नही है (संलग्न–1 बिन्दु सं0–25)।

26	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह से जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	शर्त सं0 26 इस कार्यालय से सम्बन्धित है।
27	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति) /फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	शर्त सं0 27 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति) /फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय किये जायेंगे (संलग्न-1 बिन्दु सं0-27)।
28	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग मे कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	शर्त सं0 28 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा (संलग्न-1 बिन्दु सं0-28)।
29	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	शर्त सं0 29 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियन कारपोरेशन लि0 द्वारा द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी (संलग्न-1 बिन्दु सं0-29)।
30	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय मे दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के कम मे भारत सरकार के पत्र दिनांक 06-01-2022 के तहत दिये गये आदेषानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Manangement and Planing Authority) मे वन विभाग से जमा की जायेगी।	शर्त सं0 30 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियन कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित वन भूमि 0.2475 हे0 का शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रु0-237051.0 ई-चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड मे जमा कर दिया गया है।
31	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या मे DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त सं0 31 के आलोक मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने के प्रमाण-पत्र संलग्न है (संलग्न-1 बिन्दु सं0-31)।
32	प्रश्नगत सैद्वान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य मे प्रकरण मे किसी बिन्दु पर तथ्य छियाये जानें अथवा अनय कोई नियम विरुद्व तथ्य प्रकाश मे आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वंय उत्तरदायी होंगे।	शर्त सं0 32 के आलोक मे अवगत कराना है कि किसी बिन्दु पर कोई तथ्य छिपाया नहीं गये है।
	CA amount as per proposal	0.0
	CA amount deposited	0.0
	Difference in amount	0.0

	Reason for difference	0.0
	NPV amount as per proposal	237051.0
	NPV amount deposited	237051.0
	Difference in amount	0
	Reason for difference	0
	Any other amount deposited (Complete Details be provided)	0
	CAMPA confirmation	The user agency has paid NPV amount on date- 03-04-2023

Divisional Director
Social forestry Forest & wildlife Division
Hardoi

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस: पेट्रोलियम हाउस 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई 400 020
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
REGISTERED OFFICE: PETROLEUM HOUSE, 17 JAMSHEDJI TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400 020
Website: www.hindustanpetroleum.com CIN No. L23201MH1952GOI008858

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पत्रांक:- HPCL/CGD/EFH/125

दिनांक:- 08/05/2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
हरदोई

विषय:- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी0 (चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0) दायीं पटरी पर (कुल-4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के विना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0- FP/UP/ Pipeline /143184/ 2021)

सन्दर्भ:- सचिव उ0 प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक – पी 363/ 81-2-2022-800(361)/ 2022 दिनांक 12.01.2023 एवं आपका पत्रांक 3539/14-1, हरदोई दिनांक 12.01.2023

महोदय,

कृपया उपर्युक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक पी 363/ 81-2-2022-800(361)/ 2022 दिनांक 12.01.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें । इस समबंध में अवगत कराना है कि, उ0 प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक पी 363/ 81-2-2022-800(361)/ 2022 दिनांक 12.01.2023 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है । जिसके क्रम में आपके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों के अनुपालन के हेतु लिखा गया है । सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों की बिंदुवार अनुपालन आख्या व प्रमाण- पत्रो की 05-05 प्रतियाँ मूल में संस्तुत सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदानुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करे ।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

क्र0	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1.	Legal status of the forest land shall remain up unchanged.	शर्त संख्या-1, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय वचनबद्धता दी जाती है कि वन भुमि की वैधानिक स्थिति मे उनके द्वारा कोई परिर्वतन नही किया जायेगा। (संलग्नक-1)
2.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA Fund only through e-portal.	शर्त संख्या-2, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा की जा चुकी है, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
3.	The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त संख्या-3, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस Compliance report के साथ Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। (संलग्नक-3)
4.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त संख्या-4, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली को पर्यावरण की अनुमति की आवश्यक्ता नही है।
5.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त संख्या-5, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान मे कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। (संलग्नक-4)
6.	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त संख्या-6, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नही किया

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

		जायेगा। (संलग्नक-5)
7.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborers after purchasing the same from the state Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त संख्या-7, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचन बद्धता दी जाती है कि उ0 प्र0 वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर को उपलब्ध कराया जायेगा। (संलग्नक-6)
8.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त संख्या-8, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी। (संलग्नक-7)
9.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त संख्या-9, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भुमि का किसी भी दशा मै किसी अन्य एजेंसी,विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेगा। (संलग्नक-8)
10.	Violation of any of these conditions will amount to Violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action taken as per MOEF & CC Guidelines F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.	शर्त संख्या-10, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लघन नही करेगा यदि उल्लघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी।(संलग्नक-9).
11.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may Stipulated from time to time in the interest of conservation, Protection and development of Forest & Wildlife.	शर्त संख्या-11, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवम

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

		विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्ते लगायी जायेंगी,उसका अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक-10).
12.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	शर्त संख्या-12, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। (संलग्नक-11)
13.	गैस पाईप लाईन/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़को/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त संख्या-13, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे पर ही बिछायी जायेगी।(संलग्नक-12)
14.	गैस पाईप लाईन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	शर्त संख्या-14, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौडाई 1.00 मी0 से अधिक नही होगी। (संलग्नक-13)
15.	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पेक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या-15, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।(संलग्नक-14)
16.	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-16, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा। (संलग्नक-15)
17.	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या-17, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुन: लाने व वनो एवं

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

		पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। (संलग्नक-16)
18.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त संख्या-18, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।(संलग्नक-17)
19.	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	शर्त संख्या-19, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्तिथि में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा। (संलग्नक-18)
20.	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	शर्त संख्या-20, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा उ0 प्र0 शासन पत्र सी0 जी0 आइ0 -196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद बदाँयू में किसी भी स्थानपर कुल 20 किमी0 तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु 15730000-/ रु0 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदाँयू में जमा करा दियें गयें है,उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-19)
21.	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या-21, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-20)
22.	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या-22, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

		कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास वैध व अधिक्रित लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-21)
23.	भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19–08–2010 तथा पत्र संख्या– J-11013/41/2006-1A-1(1), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया है।	इस संम्बन्ध में यह प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है।
24.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07. 2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाईल में दर्शाया गया हो।	शर्त संख्या-24, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98- एफ़सी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये निर्देशो के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा फाइल में दर्शाया है ,जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (संलग्नक-22)
25.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	उक्त परियोजना में अपशिष्ट उपल्ब्ध नही है जिस कारण मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र वांछित नहीं है।
26.	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	अपेक्षित नहीं है है।
27.	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आर–पास के फलोरा (वनस्पति/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	शर्त संख्या-27, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा / फाना संरक्षण के अंतर्गत हर

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

		सम्यक उपाय किया जायेगें।(संलग्नक-23)
28.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या-28, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा।(संलग्नक-24)
29.	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	शर्त संख्या-29, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी। (संलग्नक-25)
30.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के कम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-30, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग हरदोई के पत्र संख्या 3539/14-1,हरदोई दिनांक 20.01.2023 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.2475 है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0 पी0 वी0) की धनराशि 2,37,051-/ ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा की जा चुकी है । जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है ।(संलग्नक-26)
31.	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात् विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या-31, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित है, वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

		(संलग्नक-27)
32.	प्रश्नगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	अपेक्षित नहीं है

भवदीय

(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरेली

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबन्धक–परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक

सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग

बरेली

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

<u>वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 01</u>

शर्त संख्या1-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय वचनवद्धता दी जाती है कि वन भुमि की वैधानिक स्थिति मे उनके द्वारा कोई परिर्वतन नही किया जायेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.60 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.60 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 02

शर्त संख्या2-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ईपोर्टल - की जा चुकी है पर जमा, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

विप्लुक-2

Help

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/143184/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/143184/2021) Laying Of Gas Pipe Line Along Ghanta Ghar Road, Lucknow road, Sandi road (Ch. 0.0-2.5km,and 2.0 Km) for approx. 4.5 km In Distt. Hardoi	PIPELINE1431842021716	72143184716	12 Jan 2023	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 237051/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 237051/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 09 Feb 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 10 Feb 2023 Transaction Date: 03 Apr 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/09022023155417331_FPUPPipe Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I
2	FP/UP/Pipeline/148989/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/148989/2021) Proposed Forest Land to be diverted for Laying of Gas Pipe Line along Etah- Kanpur (GT Road) Road- NH 91 (Ch 252.000 To 289.340) for approx 37.340 KMs., District- Mainpuri, UP	PIPELINE1489892021069	72148989069	14 Dec 2022	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1966993/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1966993/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 12 Jan 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 13 Jan 2023 Transaction Date: 18 Jan 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/100120231602277023_FPUPPipe Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I
3	FP/UP/Pipeline/143001/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/143001/2021) Proposed Forest Land to be diverted for Laying of Gas Pipe Line along Kannauj- Farrukhabad Road, SH-29A (Ch 2.7-23.8 And 15.82 km Other city Road) for approx 36.927 KM and Farrukhabad- Gursahaiganj, Distt- Farrukhabad.	PIPELINE1430012021096	72143001096	29 Mar 2022	CA: 3800823/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1369625/-, NA: 0/- NA: 0/- NA: 0/- NA: 0/- Total: 5170448/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 18 Oct 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 22 Oct 2022 Transaction Date: 02 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/181020221317572893_FPUPPipe Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I
4	FP/UP/Pipeline/90801/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/90801/2020) ermission for laying of Gas Pipeline along the Etah-Kannauj Road, NH-91(Ch. 289.220 to 334.775) 45500mtrs and Farukkhabad-Gursahaiganj Road, SH-29A (Ch 22.920 to 31.000) 8080mtrs in Kaccha area for CNG/PNG Supply in distt Kannauj	PIPELINE908012020591	7290801591	22 Dec 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2822482/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2822482/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 19 Oct 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 20 Oct 2022 Transaction Date: 01 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/191020221143281528_FPUPPipe Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I अविनाश कुमार AVINASH K...
5	FP/UP/Pipeline/118863/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/118863/2021) Permission for laying of Gas Pipeline along the Shikohabad-Bhogaon Road SH-84 CH. 49.00 to 61.80 in Distt Mainpuri	PIPELINE1188632021939	72118863939	05 Aug 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 674277/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 674277/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 30 Aug 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 31 Aug 2022 Transaction Date: 14 Sep 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/290820221708091456_FPUPPipe Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=I

BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
/DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY
P://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबन्धक–परियोजना
Chief Manager-Projects

परिशिष्ट 3

FORM-I

(for plantations on non-forest land and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe population as per 2001 and 2011 census) [rule 6 (3) of the Forests (Conservation) Rules, 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pardesh
Office of District Collector/ Magistrate Hardoi

No.....2.0.0./14-1 Date....17.7..2023

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the rule 6 (3) of the Forests (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014: and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 0.2475 hectares of Protected Forest land is proposed to be diverted in favour of **Project Manager, Hindustan Petroleum Corporation Ltd. SA 72/79 First floor, DD Puram Bareilly for laying of Gas Pipe line along Ghanta Ghar Road, Lucknow Road NH-731 (Old SH-25) & Sandi road Km (Ch. 0.00 to 2.50 & 2.0 km RHS)** in the District **Hardoi** falls within the Jurisdiction of **Uttar Pradesh** Nagar Palika Parisad in **Hardoi** Tehsil having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

a) The Protected Forest (s) **Ghanta Ghar Road, Lucknow Road NH-731 (Old SH-25) & Sandi road** involved in the above villages are plantations raised **on non-forest land** on or after 13th December 1930 and were notified as per PF vide **Notification No.** (s) 1115/14-331-50 dated 10-02-1960,

b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 Years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

Encl: As above.

27/6/2023
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
हरदोई

District Magistrate
Hardoi

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 05

शर्त संख्या5-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जातीहै कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट -प्लान में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्वन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 06

शर्त संख्या6-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नही किया जायेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मुख्य प्रबन्धक–परियोजना
Chief Manager-Projects
हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं सण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 07

शर्त संख्या7-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचन बद्धता दी जाती है कि उवन निगम विधिक स्रोत से जलौनी /वन विभाग 0प्र 0 ईंधन क्रय कर को उपलब्ध कराया जायेगा वैकल्पिक/लकडी ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

<u>वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 08</u>

शर्त संख्या8-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं सण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 08

शर्त संख्या8-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

जाँच हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) बायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

<u>वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 09</u>

शर्त संख्या9-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भुमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी,विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जायेगा ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 10

शर्त संख्या10-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980- का उल्ल्घन नही करेगा यदि उल्लघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

Condition No. 10

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–हरदोई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा घंटाघर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी0 (चैनेज 0.00 से 2.50 एवं 2.0 किमी0) दांयी पटरी पर (कुल 4.50 किमी0) की दूरी मे गैस पाइप लाईन बिछाये जाने से प्रभावित 0.2475 है0 संरक्षित वन भूमि मे बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 11

शर्त संख्या11-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षणसुरक्षा एवम विकास के लिये समय / समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी,उसका अनुपालन किया जायेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

AVINASH KUMAR

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Chief Manager

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक

सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग

हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 12

शर्त संख्या12-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ईपोर्टल पर -लोड कर दी जायेगी।अप

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

प्रतिहस्ताक्षरित

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 13

शर्त संख्या13-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन वर्तमान)*Surface Right*) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे पर ही बिछायी जायेगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मुख्य प्रबंधक–परियोजना
Chief Manager-Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 दायीं (-कुल) पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

<u>वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 14</u>

शर्त संख्या-14, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच/ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौडाई 1.00 मी0 से अधिक नही होगी।

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्र०
हरदोई

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबन्धक–परियोजना
Chief Manager-Projects
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

<u>वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 15</u>

शर्त संख्या15-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भूक्षरण की सम्भावना न हो- ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्र०
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 16

शर्त संख्या16-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमो के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं सांडी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में भूमिगत पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

<u>वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 17</u>

शर्त संख्या17-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
Chief Manager-Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
शा०वा० वन एव वन्य जीव प्र०,
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं सण्डी मार्ग कि०मी० 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 कि०मी० (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 कि०मी०) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 18

शर्त संख्या18-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनवद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

AVINASH KUMAR

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Chief Manager-Projects

ह०/ हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक

सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग,

हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 19

शर्त संख्या-19, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स)Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्तिथि में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम-कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 दायीं (-कुल)पटरी पर 4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

<u>वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 20</u>

शर्त संख्या-20, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा उ0 प्र0 शासन पत्र सी0 जी0 आइ0 -196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद बदाँयू में किसी भी स्थानपर कुल 20 किमी0 तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु 15730000-/ रु0 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदाँयू में जमा करा दियें गयें है,उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-19)

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मुख्य प्रबन्धक–परियोजना
Chief Manager-Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्र..
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं –21

शर्त संख्या21-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूस्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है-, उसकी प्रति संलग्न है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं –22

शर्त संख्या22-, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास वैध व अधिक्रित लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, उसकी प्रति संलग्न है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं –24

शर्त संख्या-24, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98- एफ़सी, दिनांक 08.07. 2011 में दिये गये निर्देशो के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भूया है ,जो कि संदर्भित डिजीटल डाटा फाइल में दर्शा-प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 27

शर्त संख्या-27, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा फाना / संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किया जायेगें।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मुख्य प्रबन्धक–परियोजना
Chief Manager-Projects
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मेरे हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्र०
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 28

शर्त संख्या-28, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 29

शर्त संख्या-29, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager Projects

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायी पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 30

शर्त संख्या-30, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग हरदोई के पत्र सख्या 353914/-1,हरदोई दिनांक 20.01.2023 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.2475 हैसंरक्षित वन भूमि का शुद्ध 0 0वी 0पी 0एन)वर्तमान मूल्य) की धनराशि 2,37,051पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में -ई /- जमा की जा चुकी है। जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

अ० हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली ,द्वारा वन प्रभाग हरदोई के अन्तर्गत घंटा घर मार्ग लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी 0(चैनेज 0.000 से 2.50 एवं 2.0 किमी0 (-कुल) दायीं पटरी पर4.50 किमी0) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.2475 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं – 31

शर्त संख्या-31, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित है।

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
हरदोई

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AVINASH KUMAR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव :
हरदोई

कार्यालय नगर पालिका परिषद, हरदोई

पत्रांक : 163 / न0पा0परि0ह0(नि0वि0) / 2021

दिनांक– 09.6.2(
रजि0 / दस्ती

प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, हरदोई।

सेवा में,

महाप्रबन्धक–परियोजना
सी0जी0डी0 यू0पी0 क्लस्टर
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
प्रथम तल, एस0ए0, 72 / 79 डी0डी0 पुरम
बरेली (उ0प्र0) – 243122

विषय– हरदोई नगर सीमा में निर्धारित मार्गों (साण्डी रोड से घन्टाघर रोड व लखनऊ रोड से होते हुये सरकुलर रोड तक) जिसकी कुल लम्बाई 7.5 किमी0 में प्राकृतिक गैस लाईन लाडने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके प्राप्त पत्र संख्या – Ref No - HPCL/CGD/HARDOI/NPP/02, Date - 21.05.2021 व Ref No - HPCL/CGD/HARDOI/NPP/03 Date - 01.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके साथ क्रमश: संलग्न प्रशासनिक व्यय का डी0डी0 व दो बैंक गारन्टी के साथ प्राप्त हुये है। अतएव शासनादेश संख्या 760 / नौ–9–2016–101ज / 17 दिनांक 30 मई, 2018 नगर विकास अनुभाग – 9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की शर्तों एव नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थल पर कार्य कराने पिट बनाने एवं खुदाई करने के पूर्व वैरिकेटिंग करना अनिवार्य होगा, जो अतिक्रमण की परिधि में न आये।
3. प्रत्येक पिट अथवा लाइन डालने हेतु जितना कार्य किया जाये वह पूर्ण होने के पश्चात 72 घंटे के अन्दर पटरी मरम्मत कराना होगा, तथा यदि जलापूर्ति की पाईप लाईन आदि में कोई नुकसान होता है तो उसको सही करना आपका दायित्व होगा। विचलन की दशा में नगर पालिका द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है।
4. यह कार्य छ: माह के अन्दर पूर्ण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वत: समाप्त हो जायेगा।

अत: आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त शर्तों के अनुसार आप द्वारा निर्धारित स्थलों पर कार्य प्रारम्भ कर छ: माह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तथा नगर पालिका के अवर अभियन्ता से स्थल के सुदृढीकरण कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन कराकर लिखित रूप से प्रत्येक कार्यस्थल के फोटोग्राफ सहित अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदोई

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदोई

प्रतिलिपि : 1. मान0 अध्यक्ष जी, नगर पालिका परिषद हरदोई को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली शहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता (सिविल) को इन निर्देशों के साथ प्रेषित कि कार्य का उपरोक्तानुसार सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदोई